13/1/17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी क्र. 1 से 3
के कमल बाद तामील। फरद तामील प्राप्त नहीं हुये। प्रतिवादी
क्र. 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पत्र श्री अशोक कुमार कौशिक,
एडवोकेट ने प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
प्रतिवादी क्र. 1 व 2 उपस्थित आ वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 व 2 के
मध्य आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली
किया गया। प्रतिवादी क्र. 3 उपस्थित नहीं। प्रतिवादी क्र. 3 को
कितनी ही मर्तबा विधिवत तामील दिलाये जाने के उपरान्त भी
उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही किये जाने
का आदेश किया जाता है। वकील वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 व 2 ने
आपसी राजीनामा पर बहस करनी चाही। उभय पक्षों की
बहस सुनी गयी। बहस के दौरान उभय पक्षों ने आपसी
राजीनामा के आधार वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की स्वेच्छा की
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा आपसी राजीनामा की
बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम
बागोर -I पटवार हलका बागोर I तहसील मांडल के
किसान होकर प्रकाश S/o चम्पालाल भील ~~...~~ लादिन देव के नाम
दर्ज रेकर्ड थी जरिये इंतकाल नम्बर 3337 दिनांक 13.6.16
के द्वारा विभाजन को खाता भिन्न प्रकार दर्ज किया गया। जिस
राजस्व नक्शे में गलत तरमीम कर दी गयी। जिसकी ताईद

मोती

रुखमा

प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल संवत 2071 से 2074 से होती है इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व राजस्व नक्शे के अवलोकन से जाहिर है कि आराजी राजस्व के रेकार्ड वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य इस प्रकार खातेदार। इस कि विवादित आराजियात का वर्तमान के रेकार्ड विभाजन पूर्व के पश्चिम सीमा जाकर कहते हैं पास वादी मोतीलाल, उदई पीर रेगा व उनके बीचा रामा का कब्जा है उसी रेकार्ड प्रस्तुत नजीर नक्शे में रेकार्ड कायम होकर शामिल कर रहे हैं जिस पर वादी एवं प्रतिवादी गण सं. 1 व 2 मध्य न होकर कारण विवादित आराजियात का पूर्व क्र. इन्तकाल नं. 3337 दिनांक 13-6-16 के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया गया।

1 श्री ~~रेगा~~ s/o बीका मीणा, उम्र बालिग निवासी ... प्रतिवादी सं 1 के नाम निम्न आराजी तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा ... व नक्शे में तरमीम की जावे। जिसका रेकार्ड राजस्व रेकार्ड

आराजी नं.	रकबा	लगान
7806/2126	1 बीघा —	—
7810/2126	— 08	—
कुल किता 2 रकबा	1 बीघा 08 बिस्वा	लगान —

2 श्री रामस्वरूप s/o नेदा मीणा, उम्र बालिग निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा प्रतिवादी सं 2 के नाम निम्न आराजी जिसका रेकार्ड राजस्व रेकार्ड व नक्शे में तरमीम की जावे

आराजी	रकबा	लगान
2126	— 19 बिस्वा	—
2126/7049	— 09 बिस्वा	—
कुल किता 2 रकबा	1 बीघा 08 बिस्वा	लगान —

3 मोती s/o हजारी मीणा, उम्र बालिग निवासी ... तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा वादी के नाम निम्न आराजी राजस्व रेकार्ड व नक्शे में तरमीम की जावे।

आराजी नं.	रकबा	लगान
7807/2126	1 बीघा —	—
7811/2126	— 08 बिस्वा	—
कुल किता 2 रकबा	1 बीघा 08 बिस्वा	लगान —

अदालत ____________ मुकाम ____________

____________ बनाम ____________

मुकदमा ____________ नं. ____________ सन् ____________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विभाजन हडबार वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 व 2 ने प्रस्तावित नक्शा तैयार किया। प्रस्तावित नक्शे हडबार की वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 व 2 नक्शे से तरमीम कराना चाहते। तरमीम किये जाने के आदेश दिया जाता है तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन स्वयं वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल हो। [signature]	
	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	
23-1-17	वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 151-152 जा.दी. का प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली मिसल से तलब की गयी। पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पर बहस करवाई गयी। वकील वादी की बहस सुनी गयी बहस के दौरान वकील वादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके संशोधित डिक्री जारी किये जाने की याचना की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया। न्याय हित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151-152 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13-1-17 को निरस्त करते हुए वर्तमान कब्जे व प्रस्तावित नक्शे हडबार अनुसार इस आराजियात का नवीन बटा नम्बर जारी करते हुए विभाजन का आदेश किया जाता है। अतः हडबार वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 व 2 मे कब्जा इस आराजियात का नवीन बटा नम्बर जारी करते हुए व प्रस्तावित नक्शे हडबार विभाजन किया जावे। खर्चा फरीकेन स्वयं वहन करे। [signature]	

उप खण्ड अधिकारी
मांडल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर और तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सूचना-प्रपत्र गठन करें। लेखपाल रिपोर्ट [illegible] [illegible] जारी हो। पत्रावली बैनाम शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (signature) उप खण्ड अधिकारी सपारक	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–1/2017 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री मोती पिता हजारी भील, उम्र बालिग निवासी अमरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———वादी

बनाम

1–श्री खेमा पिता घीसा भील, उम्र बालिग निवासी अमरगढ़ तहसील मांडल

2–श्री रामस्वरूप पिता नंदा मीणा, उम्र बालिग निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

———प्रतिवादीगण

————

वादी की ओर से श्री पवन शर्मा, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री अशोक श्रौत्रिय, एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 6.1.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि — और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि — को दी जायें।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य आपसी राजीनामा अनुसार वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बागौर प्रथम तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजियात इंतकाल नम्बर 3337 दिनांक 13.6.2016 के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य वर्तमान में विभाजन पूर्व से पश्चिम किया जाकर सड़कके पास वादी मोतीलाल, उनके पीछे खेमा व उसके पीछे राम स्वरूप का कब्जा है उसी अनुसार प्रस्तुत नजीर नक्शें के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है उसी अनुसार भूमि विभाजित करते हुये उसी अनुसार प्रस्तावित नक्शा अनुसार विभाजन करते हुये राजस्व रेकार्ड व नक्शें में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य विभाजित करते हुये राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुये प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम की जावें।

1–श्री मोती पिता हजारी भील, उम्र बालिग निवासी अमरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वादी के नाम निम्न भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुये राजस्व नक्शें में तरमीम जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

7807/2126	1 बीघा	—	—
7811/2126	—	08 बिस्वा	—

कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा लगान —

2—श्री खेमा पिता घीसा भील, उम्र बालिग निवासी अमरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शें में तरमीम की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा		लगान
7806/2126	1 बीघा	—	—
7810/2126	—	08 बिस्वा	—

कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा लगान —

3—श्री रामस्वरूप पिता नंदा मीणा, उम्र बालिग निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी संख्या 2 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शें में तरमीम की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा		लगान
2126	—	19 बिस्वा	—
2126/7049	—	09 बिस्वा	—

कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा लगान —

विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रस्तावित नक्शा तैयार किया। प्रस्तावित नक्शे के अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जे अनुसार नक्शे में तरमीम की जावें। खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करें।

(देबीसिंह रावत)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 13.1.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

:: संशोधित डिकी ::

यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद में डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

ासीन अधिकारीः– श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

दमा नम्बरः–1/2017 राजस्व वाद

ग्पत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मोती पिता हजारी भील, उम्र बालिग निवासी अमरगढ़ तहसील मांडल जिला लवाड़ा (राजस्थान) ––––वादी

बनाम

–श्री खेमा पिता घीसा भील, उम्र बालिग निवासी अमरगढ़ तहसील मांडल

–श्री रामस्वरूप पिता नंदा मीणा, उम्र बालिग निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

––––प्रतिवादीगण

–––––

वादी की ओर से श्री पवन शर्मा, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री अशोक श्रौत्रिय, एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 6.1.2017 व 23.1.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि – और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

न्याय हित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151–152 जा0दी0 का स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं डिकी दिनांक 6.1.2017 को निरस्त करते हुये वर्तमान कब्जे एवं प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार मूल आराजियात का नवीन बटा नम्बर जारी करते हुये विभाजन का आदेश दिया जाता हैं। उसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य मूल आराजियात का नवीन बटा नम्बर जारी करते हुये कब्जे व प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार विभाजन किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(देबीसिंह रावत)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 23.1.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा